क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

21.2.2023

नामान्तरण अपील वाद सं0 08/2020–21

महेन्द्र पाल वगैरह प्रति फुलमति देवी वगैरह

आदेश

अभिलेख अन्तिम निस्तारण हेतु उपस्थापित। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अंचल अधिकारी, केतार के नामांतरण वाद सं0 264R27/2018–19 में दिनांक 12.11.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध नामांतरण अपील वाद दायर किया गया है। अपील आवेदन पत्र अंगीकृत करते हुए संबंधित पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया तथा अंचल अधिकारी, केतार से अभिलेख की मांग की गयी। अंचल अधिकारी, केतार से अभिलेख प्राप्त है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि:– 01 अंचल अधिकारी, केतार के नामांतरण वाद संख्या 264R27/2018–19 में दिनांक 12.11.2019 ई0 में ग्राम बत्तोकला पोस्ट पाचाडुमर अंचल व थाना केतार जिला गढ़वा राज्य झारखण्ड के पुराना खाता नं0 120 पुराना प्लॉट नं0 610 केवाला संख्या 2163 दिनांक 04.04.1996 ई0 जिसका नया खाता संख्या 126 नया प्लॉट नं0 1073 रकबा 1.26 एकड, नया प्लॉट नं0 1045 रकबा 0.45 एकड़ प्लॉट संख्या 1069 रकबा 0.22 एकड़ भूमि कुल रकबा 1.93 एकड़ भूमि का नामांतरण प्रत्यर्थी के आवेदन पत्र पर हल्का कर्मचारी तथा अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर प्रत्यर्थी के पक्ष में नामांतरण का आदेश पारित कर दिया गया है जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण अपील दायर कर रहे है।

02 ग्राम बत्तोकला पोस्ट पाचाडुमर अंचल व थाना केतार जिला गढ़वा राज्य झारखण्ड के खाता नं0 120 प्लॉट नं0 658 रकबा 3.00 एकड़ प्लॉट नं0 664 का रकबा 6.00 एकड़ का प्लॉट नं0 610 रकबा 16.00 एकड़ हाल स्थल पर रकबा 13.00 एकड़ भूमि रूद्र प्रताप नाथ शाही तथा फलेन्द्र नाथ शाही ने तुलसी कहार तथा शिवनारायण सिंह के नाम से संयुक्त पट्टा किए। पट्टा के आधार पर दोनों का जमींदारी जाने के बाद जमाबंदी एक साथ कायम हुआ तथा लगान रसीद कटने लगा।

03 तुलसी कहार अपने हिस्से की भूमि खाता नं0 120 प्लॉट नं0 658, 664 एवं 610 की आधी भूमि 12.50 एकड़ भूमि प्रवील पाल, रामरती देवी, रामगृही पाल, रामचन्द्र भगत, मुखलाल विश्वकर्मा परीखा मिस्त्री को बिक्री कर दिए तथा दखल कब्जा सौंप दिए। दखल कब्जा के आधार पर दाखिल खारिज कराकर लगान रसीद कटते आ रहा है।

लगातार ....

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
	04 शिवनारायण सिंह अपने हिस्से की भूमि खाता नं0 120 प्लॉट नं0 658, 664, 610 रकबा 12.50 एकड़ भूमि विभिन्न रैयतों के साथ हरि चेरो, सरयु चेरो लाल हेमेन्द्र प्रताप शाही, राजगृहि पाल, सुभागी देवी, परीखा मिस्त्री, मुखलाल मिस्त्री के साथ बिक्री कर दिए तथा दखल कब्जा सौंप दिए। शिवनारायण सिंह तथा बच्चु सिंह दोनों भाईयों के पिता स्व0 अमलु सिंह थे। शिवनारायण सिंह, मुखन महतो को प्लॉट नं0 658 में रकबा 1.50 एकड़ बेच दिए तथा यादव जी को प्लॉट नं0 664 में रकबा 2.00 एकड़ बेचे। बच्चु सिंह ने महेन्द्र पाल वगैरह को पुराना प्लॉट नं0 610 नया प्लॉट नं0 1045 में 30 डीसमील तथा कृष्णा पाल वगैरह को प्लॉट नं0 664 में रकबा 1.50 एकड़ भूमि बिक्री कर दिए। 05 इस तरह बच्चु सिंह एवं शिवनारायण सिंह अपने हिस्से से अधिक भी भूमि विभिन्न रैयतों के साथ बिक्री कर दिए तथा दखल कब्जा सौंप दिए। 06 अपील वाली भूमि शिवनारायण सिंह, मुखु महतो पिता स्व0 नन्हकु महतो को पूर्व में अपने हिस्से से अधिक की भूमि बेच दिए। इसके बाद प्रत्यर्थी भुखु महतो को भूमि का बिक्री किए। 07 प्रत्यर्थी अपने भूमि का नामांतरण हेतु आवेदन पत्र अंचल अधिकारी, केतार के पास ग्राम बत्तोकला पोस्ट पाचाडुमर अंचल व थाना केतार जिला गढ़वा राज्य झारखण्ड की उक्त भूमि नामांतरण हेतु दाखिल किये जिसका जॉच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी केतार के द्वारा हल्का कर्मचारी तथा अंचल निरीक्षक से मॉग की गई। हल्का कर्मचारी तथा अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर अंचल अधिकारी ने नामांतरण की स्वीकृति प्रत्यर्थी के पक्ष में दिनांक 05.12.2019 ई0 को पारित किया। 08 अपीलार्थीगण जब हल्का कर्मचारी के पास अपने नाम से लगान रसीद कटाने गए तब पता चला कि प्रत्यर्थी के नाम से उक्त भूमि का दाखिल खारिज हो चुका है तब अपीलार्थी अंचल अधिकारी, केतार के पास उक्त दाखिल खारिज की प्रमाणित प्रति लेने हेतु दिनांक 15.06.2020 ई0 को दाखिल किए तथा उसी दिनांक 15.06.2020 ई0 को ही अंचल अधिकारी, केतार के द्वारा नकल दिया गया। दाखिल खारिज की जानकारी अपीलार्थीगण को हल्का कर्मचारी के द्वारा दिनांक 15.06.2020 ई0 को दी गई तथा उसी दिन जानकारी हुई तब तिथि की जानकारी से अपील दायर किया जा रहा है। जो समय सीमा के अन्दर है। अतः अपीलार्थीगण के द्वारा दाखिल नामांतरण अपील आवेदन पत्र को स्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी, केतार के द्वारा नामांतरण लगातार ....

आदेश या कार्यवाही की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

वाद सं0 264R27/2018–19 में दिनांक 12.11.2019 ई0 को पारित आदेश को अस्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया गया है। अपीलार्थीगण के द्वारा दाखिल कागजात निम्न प्रकार है :–

01 लगान रसीद का छायाप्रति .... 07 फर्द
02 केवाला मुखलाल विश्वकर्मा का छायाप्रति .... 04 फर्द
03 केवाला रामगृहि भगत का छायाप्रति .... 03 फर्द
04 केवाला महेन्द्र पाल का छायाप्रति .... 03 फर्द
05 केवाला सुभागी देवी का छायाप्रति .... 04 फर्द
06 केवाला परीखा मिस्त्री का छायाप्रति .... 04 फर्द
07 केवाला रामचन्द्र भगत का छायाप्रति .... 11 फर्द
08 केवाला मुन्द्रिका भगत का छायाप्रति .... 04 फर्द
09 केवाला मुखलाल विश्वकर्मा का छायाप्रति .... 04 फर्द
10 सुभागी देवी के नामे लगान रसीद की छायाप्रति .... 01 फर्द

प्रत्यर्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि:– 01 अपीलार्थी के द्वारा वाद कालबाधित होने के पश्चात् गलत तथ्य देकर ग्राम बत्तोकला के पुराना खाता नं0 120 नया खाता नं 126 पुराना प्लॉट नं0 610 नया प्लॉट नं0 1045 रकबा 0.45 एकड़ प्लॉट सं0 1069 रकबा 0.22 एकड़ प्लॉट सं0 1073 रकबा 1.26 एकड़ कुल रकबा 1.93 एकड़ भूमि पर दायर किया गया है। जो अपील खारीज योग्य है।

02 वास्तविक्ता यह है कि प्रश्नगत् भूमि पूर्व में शिवनारायण सिंह की थी जिन्हें जमींदार से बन्दोवस्ती द्वारा प्राप्त था उक्त खाता सं0 120 प्लॉट सं0 610 रकबा $1.51\frac{1}{4}$ एकड़ भूमि शिवनारायण सिंह से प्रत्यर्थी ने केवाला नं0 2163 दिनांक 04.04.1996 से खरीद किया एवं दखल कब्जे में आए तथा अंचल से नामांतरण हेतु आवेदन दिया जिसपर विधिवत जॉचोंपरान्त कागत एवं दखल कब्जा पाकर प्रत्यर्थी के नाम से नामांतरण स्वीकृत किया गया है।

03 अपीलार्थी के अपील आवेदन के सभी कण्डिकाओं का प्रत्यर्थी खण्डन करते है।

04 तुलसी कहार को प्लॉट सं0 610 में एक ईन्च भूमि जमींदार ने बन्दोवस्त नहीं किया था।

05 अपीलार्थी ने गलत तरीके से केवाला कराया है क्योंकि उनके विक्रेता को भूमि बिक्री करने का कोई अधिकार नहीं था।

06 अपीलार्थी ने अपील आवेदन मे जितने भी तथ्य दिए है वह पूर्णतः गलत है।

लगातार ....

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
	07 पुराना खाता नं0 120 से नया खाता नं0 126 पुराना प्लॉट नं0 610 से नया प्लॉट नं0 1045, 1069, 1073 बना है। यह भूमि प्रत्यर्थी की भूमि है जो शिवनारायण सिंह से खरीद किए है जिस पर प्रत्यर्थी का दखल कब्जा है जो हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक ने भी प्रतिवेदित किया है। 08 अपीलार्थी का यह कथन कि शिवनारायण सिंह ने हिस्से अधिक भूमि बिक्री किया है यह कथन सरासर गलत है। अतः प्रत्यर्थी के द्वारा अपीलार्थी के अपील आवेदन पत्र को अस्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी, केतार द्वारा नामांतरण वाद सं0 264R27/2018–19 में दिनांक 12.11.2019 को पारित आदेश को यथावत बहाल रखने हेतु अनुरोध किया गया है। प्रत्यर्थी के द्वारा दाखिल कागजात निम्न प्रकार है:– 01 केवाला का छायाप्रति .... 09 फर्द 02 ऑनलाईन लगान रसीद की छायाप्रति .... 01 फर्द उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं उनके द्वारा दाखिल राजस्व दस्तावेज का गहन परिशीलन किया तथा पाया कि प्रत्यर्थीगण ने विक्रेता शिवनारायण सिंह पिता स्व0 कुंवर अकलु सिंह से केवाला सं0 2163 दिनांक 04.04.1996 के द्वारा प्रश्नगत् भूमि मौजा बतोकला के गत सर्वे के खाता सं0 120 प्लॉट सं0 610 रकबा $1.96\frac{1}{4}$ एकड़ भूमि क्रय किये है। इसी भूमि का हाल सर्वे के अनुसार खाता सं0 126 प्लॉट सं0 1045, 1069, 1073 क्रमशः रकबा 0.45 एकड़ 0.22 एकड़ 1.26 एकड़ कुल रकबा 1.93 एकड़ भूमि का अंचल अधिकारी केतार के द्वारा नामांतरण वाद सं0 264R27/2018–19 से दाखिल खारिज करते हुए मांग संधारित किया गया है। प्रश्नगत् भूमि का हाल सर्वे खतियान रैयत शिवनारायण सिंह एवं बच्चु सिंह पिता अकलु सिंह के नाम से खाता सं0 126 प्लॉट सं0 1045, 1069, 1073 क्रमशः रकबा 0.47 एकड़ 0.49 एकड़ 4.22 एकड़ वो अन्य प्लॉट के साथ कुल रकबा 7.15 एकड़ भूमि का खतियान बना है। अपीलार्थीगण का कथन है कि गत सर्वे के खाता सं0 120 प्लॉट सं0 658, 610, 664 क्रमशः रकबा 3.00 एकड़ 16.00 एकड़ 6.00 एकड़ कुल रकबा 25.00 एकड़ भूमि है। कुल रकबा 25.00 एकड़ भूमि में से एक हिस्सेदार तुलसी राम ने केवाला सं0 1165 दिनांक 12.06.1967 के द्वारा क्रेता रामचन्द्र भगत वगैरह से खाता सं0 120 प्लॉट सं0 658, 610, 664 क्रमशः रकबा 1.50ए0, 8.00ए0, 3.00ए0 कुल रकबा 12.50 एकड भूमि बिक्री किये है लगातार ....

Scanned with CamScanner

आदेश या कार्यवाही की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	जिसका दाखिल खारिज होकर वर्तमान में रकबा 10.00 एकड़ भूमि सहित एवं विभिन्न केवाला के माध्यम से विक्रेता शिवनारायण सिंह वो अन्य विक्रेता से भूमि क्रय किये है। अभिलेख में संलग्न अपीलार्थीगण का कुल आठ केवाला एवं लगान रसीद के अनुसार गत सर्वे के मांगपंजी 2 पर संधारित होकर लगान रसीद रकबा $16.81\frac{3}{4}$ एकड़ भूमि का लगान रसीद निर्गत है। स्पष्ट है कि वर्तमान में दाखिल खारिज की प्रक्रिया हाल सर्वे के अनुसार किया जाता है। उभय पक्ष के द्वारा रकबा 25.00 एकड़ भूमि का हाल सर्वे में खाता प्लॉट क्या बना है, अस्पष्ट है एवं भूमि पर दखल कब्जा से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उक्त तथ्य के आलोक में अपीलार्थीगण के द्वारा दाखिल नामांतरण अपील आवेदन पत्र को स्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी, केतार को इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित **(Remand)** किया जाता है कि उभय पक्ष से नामांतरण आवेदन पत्र प्राप्त कर नामांतरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जॉच कर नामांतरण प्रक्रिया को अपनाते हुए क्रेता का दखल कब्जा, जमाबंदी के अनुसार आवश्यक/अग्रेतर कर्रवाई करना सुनिश्चित करें। इस आशय के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त किया जाता है। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, केतार को अनुपालन हेतु भेंजे। लेखापित एवं संशोधित। (ह०) 23/1/23 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, श्री बंशीधर नगर। (ह०) 23/1/23 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, श्री बंशीधर नगर। Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2023.04.12 15:02:26 +05:30 Location: 192.168.1.46	

Scanned with CamScanner